



55. भावज्य में उत्त गांव के निवासीयों को नियमानुसार अन्य विधायक बनने का अधिकार सरकार के पास रहेगा परन्तु अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए विस्थापितों को नियमानुसार मुआवजा देय होगा ।

66. इन सभी अधिकारों के अधीन किया गया है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धाराओं

*mj*  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधौपुर  
दिनांक 21/8/98

क्रमांक प. 288/अभ्यारण्य/राजस्व/77/2298

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. शासन उप सचिव, राजस्व & ग्रुप-8 विभाग, राजस्थान जयपुर
2. मुख्य जन संरक्षक एवं वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक स्फ. 98/10460-76 दि. 6.8.98 के क्रम में सूचनार्थ ।
3. क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सवाई माधौपुर
4. जिला कलेक्टर, सवाई माधौपुर
5. तहसीलदार, स.मा./खण्डार/ उप पंजीयक सवाई माधौपुर/खण्डार
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधौपुर/खण्डार
7. सरपंच, ग्राम पंचायत.....
8. नोटिस बोर्ड कलेक्टर / उप जिला कलेक्टर कार्यालय स0माधौपुर  
तहसील कार्यालय स0माधौपुर/खण्डार/ पंचायत समिति स0माधौपुर  
खण्डार/ ग्राम पंचायत/ पटवार कार्यालय
9. गार्ड फाइल
10. सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी स0माधौपुर

*mj*  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधौपुर